निर्वाचन तत्काल

कैम्प बैग

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – **110001**

सं.**576/3**/वी वी पी ए टी/**2016**/एस डी आर-खंड I. तारीख : **21** मार्च, **2016**

सेवा में,

1 असम
2. केरल
3. तमिलनाडु
4. पश्चिम बंगाल
5. पुडुचेरी

के मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विषय : असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं पुडुचेरी राज्य की विधान सभाओं के साधारण निर्वाचन – वोटर वेरिफायबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम **(**वी वी पी ए टी**)** सहित ई वी एम के प्रयोग के बारे में।

महोदय,

आयोग के तारीख **15** मार्च, **2016** के पत्र सं. **576/3/**ई वी एम/**2016**/एस डी आर – खंड I के क्रम में, मुझे आयोग के तारीख **21** मार्च, **2016** के निदेश सं. **576/3/**वी वी पी ए टी/**2016**/एस डी आर – खंड I को इसके साथ अग्रेषित करने के निदेश हुआ है जिसमें असम के **10**, केरल के **12**, तमिलनाडु के **17**, पश्चिम बंगाल के **22** और पुडुचेरी के **3** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों **(**संलग्न अनुबंध के अनुसार**)** को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जहां ड्राप बाक्स सहित, एक प्रिंटर को मतों के पेपर ट्रेल को प्रिंट करने के लिए उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में प्रयोग की जा रही सभी वोटिंग मशीनों से संबद्ध किया जाएगा। इस निदेश को शीघ्र ही राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और राजपत्र की दो प्रतियां आयोग की सूचना एवं रिकॉर्ड हेतु उसे अग्रेषित की जाएं।

2. उपर्युक्त अनुबंध को आगे आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसर के ध्यान में लाया जाए।

3. चुनिंदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में वी वी पी ए टी का प्रयोग करने के निर्णय का व्यापक प्रचार किया जाए।

4. कृपया पावती भेजें।

भवदीय,

(एन टी. भूटिया**)**
अवर सचिव

राज्यों के शासकीय राजपत्र में शीघ्र प्रकाशनार्थ

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

तारीख : 21 मार्च, 2016

निदेश

सं. 576/3/वी वी पी ए टी/2016/एसडीआर.खंड। - यत: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61क में उपबंध किया गया है कि वोटिंग मशीनों द्वारा ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, मत देने एवं दर्ज करने को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों क्षेत्रों, जो भारत निर्वाचन आयोग प्रत्येक मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करें, में अंगीकार किया जा सकता है; तथा

2. यत: निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के परंतुक के अनुसार, ऐसे डिजाइन, जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाए, के ड्रॉप बाक्स सहित प्रिंटर को ऐसे निर्वाचन क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्रों या उसके भाग, जो भारत निर्वाचन आयोग निदेश दे, में मत के पेपर ट्रेल प्रिंट करने लिए वोटिंग मशीन के साथ भी संबद्ध किया जाए; तथा

3. यत: भारत निर्वाचन आयोग ने अपनी तारीख 15 मार्च, 2016 की अधिसूचना सं.576/3/इवीएम/2016/एसडीआर खंड-1 के तहत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धारा 61क के अधीन असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं पुडुचेरी राज्यों के सभी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट किया जिनमें वर्तमान साधारण निर्वाचनों के लिए किए जाने वाले मतदान में वोटिंग मशीनों द्वारा मत दिए जाएंगे और रिर्काॅर्ड किए जाएंगे।

4. अत:, अब, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49क के उपर्युक्त परंतुक के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा –

(i) इसके अनुबंध में यथा विनिर्दिष्ट, असम के 10, केरल के 12, तमिलनाडु के 17, पश्चिम बंगाल के 22 एवं पुडुचेरी के 3 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों को ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों के रूप में विनिर्दिष्ट करता है, जिनमें असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं पुडुचेरी विधान सभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों में मत देने एवं रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक वोटिंग मशीन से ड्रॉप बाक्स सहित एक प्रिंटर संबद्ध किया जाएगा;

(ii) भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलोर, एवं इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा यथा विकसित ड्रॉप बाक्स सहित प्रिंटर के डिजाइन को प्रिंटर के ऐसे डिजाइन के रूप में अनुमोदित करता है जिसे उपर्युक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में मत देने एवं रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग की जाने वाली उक्त वोटिंग मशीनों से संबद्ध किया जाएगा।

आदेश द्वारा,

(अनुज जयपूरियार)

सचिव

अनुबंध

आगामी निर्वाचनों में वी वी पी ए टी का प्रयोग					
क्र. सं.	राज्य का नाम	प्रयोग की जाने वाली वी वी पी ए टी का मेक	चयनित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र		
			विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	मतदान केंद्र की संख्या	वी वी पी ए टी कीअपेक्षा (रिजर्व सहित)
1	पश्चिम बंगाल	ई सी आई एल	कूच बिहार दक्षिण	253	316
			अलीपुरद्वार	273	341
			जलपाईगुड़ी (अनुसूचित जनजाति)	280	350
			सिलीगुड़ी	238	298
			रायगंज	194	243
			बालूरघाट	188	235
			इंग्लिश बाजार	251	314
			मुर्शिदाबाद	272	340
			कृष्णानगर	268	335
			बारासात	283	354
			जादवपुर	340	425
			बालीगंज	291	364
			चौरंगी	222	278
			हावड़ा मध्य	308	385
			चंदनानगर	258	323
			तमलुक	287	359
			मेदिनीपुर	296	370
			पुरूलिया	266	333
			बांकुड़ा	303	379
			बर्द्धमान	294	368
			बेहला पश्चिम	341	426
			सूरी	287	359

कुल				5993	7495
2	केरल	ई सी आई एल	वट्टीयूरकावू	141	176
			नेमंम	148	185
			कोल्लम	154	193
			अलप्पुझा	153	191
			कोट्टायम	158	198
			एरनाकूलम	122	153
			त्रिकाकारा	147	184
			त्रिस्सूर	149	186
			पलक्कड़	140	175
			मलप्पुरम	154	193
			कोझीकोड उत्तर	142	178
			कन्नूर (केवल शहरी क्षेत्र)	42	53
कुल				1650	2065
3	तमिलनाडु	बी ई एल	अन्ना नगर	255	319
			वेल्लोर	244	305
			कृष्णागिरी	297	371
			सलेम	284	355
			इरोड (पश्चिम)	285	356
			तिरूपुर (उत्तर)	327	409
			कोपम्बाडू (उत्तर)	285	356
			डिण्डीगुल	268	335
			तिरूचिरापल्ली (पश्चिम)	271	339
			कुड्डालोर	228	285
			तन्जानू	276	345
			कांचीपूरम	316	395
			विलुप्पुरम	281	351

			मदुरई (पूर्व)	302	378
			थूथूजुडी	271	339
			तिरूनेलवेली	305	381
			कन्याकुमारी	300	375
कुल				4795	5994
4	पुडुचेरी	बी ई एल	15-ओपलम	24	30
			16-ओरियमपेट	23	29
			27-कराईकल दक्षिण	27	34
कुल				74	93
5	असम	बी ई एल	सिल्चर	232	290
			धुब्री	192	240
			बोगाईगांव	222	278
			गोलपाड़ा पूर्व	222	278
			जलुकबाड़ी	212	265
			दिसपुर	375	469
			गुवाहाटी पूर्व	240	300
			गुवाहाटी पश्चिम	285	356
			तेजपुर	200	250
			जोरहट	191	239
कुल				2371	2965